कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) जिला सीहोर म0प्र0

क्रमांक 1161 /लो.से.प्र./2023 दिनांक 07/02/2024

प्रेस विज्ञप्ति

जिला कलेक्टर कार्यालय सीहोर मे राजस्व विभाग अंतर्गत लोक सेवा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुल 02 पदो की पद पूर्ति हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारो से आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवेदन का प्रारूप एवं ऑनलाईन आवेदन लिंक, पदो का विवरण, अर्हताऐ, योग्यता, संविदा नियुक्ति की शर्ते म0प्र0 शासन के संयुक्त उपक्रम एमपी ऑनलाईन लिमिटेड की वेबसाईट https://mponline.gov.in/portal/ पर उपलब्ध है।

2. पदो का विवरण इस प्रकार है:-

सरल क्रमांक	वर्ग	कुल पद
1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (मुक्त)	01
2	अनुसूचित जाति (महिला)	01

3. कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) को राशि रू 19,500/- (उन्नीस हजार पांच सौ रू मात्र) का प्रतिमाह एकजाई मानदेय प्राप्त होगा।

4. ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06-मार्च-2024 है। भर्ती प्रक्रिया एवं आवेदन के संबंध मे विस्तृत दिशा-निर्देश एमपी ऑनलाईन लिमिटेड की वेबसाईट पर उपलब्ध है। उक्त भर्ती प्रक्रिया मे केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार्य होगे।

5. इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितकरण संबंधी कोई मांग या दावा स्वीकार्य नही होगा।

6. उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत पदो की संख्या मे वृद्धि या कमी की जा सकती है।

7. उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध मे समस्त अधिकार एवं किसी भी प्रकार के दावे-आपत्तियो के संबंध मे अंतिम निर्णय केवल जिला कलेक्टर सीहोर का मान्य होगा।

कलेक्टर
जिला सीहोर

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट - 1

कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर (म0प्र0)

कार्यालय सहायक सह - डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा पद को भरे जाने हेतु सामान्य निर्देश एव रूल बुक

न्यूनतम अर्हतायें-

1. कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. 01 वर्ष का यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर का डिप्लोमा।
3. न्यूनतम तकनीकी योग्यता (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा का स्कोर कार्ड (नोट- ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व की दिनांक तक का VALID स्कोर कार्ड मान्य किया जावेगा)।
4. आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए।
5. आवेदक की आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष से 35 तक।

(शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियो को पाँच वर्ष की अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी।)

(नोट:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/नि:शक्तजन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 05 वर्ष की छूट नियत है।)

अनुभव :-

1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्यो का हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।
2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।
3. दस्तावेजो की स्केनिंग
4. एम.एस. ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने किसी पंजीकृत शासकीय / अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था कार्यालय का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।
5. अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व का सक्षम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस संविदा भर्ती के पद अनुरूप तकनीकि योग्यताओ के बिंदुओ के अनुरूप जारी होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि</u> :- 06-मार्च-2024
2. <u>मूल निवासी प्रमाण पत्र :-</u>

   उपरोक्त पद मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये है। अत: आवेदक के चयन की स्थिति मे नियुक्ति के पूर्व म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा चयन अमान्य किया जायेगा।
3. <u>चयन प्रक्रिया का आधार :-</u>

   1. प्राप्त ऑनलाईन आवेदको को सी.पी.सी.टी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंको के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

   सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड

Scanned with CamScanner

के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा। मेरिट के निर्धारण में केवल उन्ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग मे क्वालिफाई किया हो । कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में अधिकतम अंको से ज्यादा एवं न्यूनतम अंको से कम अंक दर्ज वाले अभ्यर्थियो को प्रक्रिया से स्वत:बाहर कर दिया जाएगा ।

2. यदि दो या अधिक आवेदको के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो क्रमश: हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।

3. सभी प्रारूप में मेरिट में दो आवेदको को समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।

4. मेरिट सूची के आधार पर संबंधित आवेदको को समस्त मूल दस्तावेजो के प्रमाणीकरण हेतु मूल दस्तावेज संबंधी समिति के समक्ष निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करने होगे । दस्तावेज सत्यापन मे असफल उम्मीदवारो को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा । प्रोविजनल मेरिट सूची तैयार कर एमपी ऑनलाईन पोर्टल https://mponline.gov.in/portal/ पर प्रकाशित कर दावे आपत्ति प्राप्त किये जायेगे ।

दावे आपत्ति प्राप्त कर इनके निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची जिला कार्यालय द्वारा तैयार कर एमपी ऑनलाईन पोर्टल https://mponline.gov.in/portal/ एवं जिले की वेवसाईट www.sehore.nic.in पर अपलोड की जायेगी ।

5. संवर्गवार पदो की संख्या के 10 गुना सफल आवेदको के साथ अंतिम सूची मे चयनित अभ्यर्थी के बाद वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी जो की जारी होने की दिनांक से 02 वर्षो के लिए वैद्य होगी ।

6. अंतिम मेरिट सूची जारी करने के उपरांत मेरिट अनुसार क्रमश: सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति/ज्वाईनिंग हेतु बुलावा आदेश प्रेषित किया जाएगा।

7. नियुक्ति/ज्वाईनिंग के समय अभ्यर्थियो के दस्तावेजो का सत्यापन भर्ती समिति द्वारा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन मे असफल अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर मेरिट सूची से आगे के अभ्यर्थी को क्रमश: बुलावा आदेश प्रेषित किया जाएगा ।

8. केवल प्रोविजनल मेरिट सूची के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी का पद पर दावा मान्य नही होगा।

Scanned with CamScanner

2. भर्ती हेतु महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है :-

स0क्र0	कार्य	दिनांक	समय
1	भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रकाशन	15-02-2024	—
2	ऑनलाईन प्राप्त आवेदन किये जाने की प्रारंभ तिथि	15-02-2024	प्रातः 10:00 बजे से
3	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	06-03-2024	रात्रि 11:59 बजे तक
4	ऑनलाईन आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि	11-03-2024	रात्रि 11:59 बजे तक

अपर कलेक्टर
जिला सीहोर

प्रभारी अधिकारी
लोक सेवा प्रबंधन
जिला सीहोर

जिला कोषालय अधिकारी
जिला सीहोर

जिला प्रबंधक
लोक सेवा प्रबंधन
जिला सीहोर

Scanned with CamScanner

संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्ते

संविदा अवधि

1. संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी ।
2. 01.01.2024 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक । (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत् कर्मचारियो को पॉच वर्ष की छूट प्रदान की जायगी ।)
3. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षो मे से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
4 . आवेदक की आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष से 35 तक।

(शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियो को पॉच वर्ष की अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी।)

(नोट:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/नि:शक्तजन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 05 वर्ष की छूट नियत है ।)

मानदेय/पारिश्रमिक

5. संविदा सेवा मे प्रतिमाह एकजाई वेतन राशि रूपये **19,500/-** (उन्नीस हजार पॉच सौ रूपये) मात्र देय होगी ।
6. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नही होगी ।
7. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

अवकाश

8. संविदा पर कार्यरत अधिकरियों/कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।

   इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वत: व्यपगत हो जाएगा।

   संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/ कर्मचरियों को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरूष अधिकारी/कर्मचारी को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।

   उपरोक्त संशोधनों को आधार मानकर उपरोक्तानुसार वर्णित अवकाश श्रेणियों से संबंधित पूर्व स्वीकृत/ निराकृत प्रकरण पुन: नहीं खोले जाएंगे।

   उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियो की स्वीकृति से किया जायेगा बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नही होगा।

Scanned with CamScanner

एनपीएस :-

9. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

अन्य :-

10. इस संविदा के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नही किया जाएगा ।
11. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी । इस अवधि में यदि नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वत: प्रभाव शून्य हो जाएगा।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तिओ का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सकेगा ।गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन टीप के बार-बार अनुबंध निष्पादन की बाधता नही रहेगी। आधार आगामी वर्ष हेतु संविदा नवीनीकरण पर विचार किया जायेगा।
13. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियो पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होगे ।
14. अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
15. मध्यप्रदेश शासन मे लागू आरक्षण नियमो का पूर्णत: पालन किया जाएगा ।
16. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एक माह पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
17. किसी भी विवाद की स्थिति मे कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा ।
18. उपरोक्त शर्तो के साथ संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर सामान्य प्रशासन विभाग म0प्र0 शासन के संविदानीति दिनांक 22 जुलाई 2023 के उपबंध लागू होगे। यदि उपरोक्त शर्तो एवं सामान्य प्रशासन विभाग की नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंधो के मध्य के मध्य किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति मे सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंध मान्य होगे ।

कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) पद हेतु शैक्षणिक व्यवहारिक एवं तकनीकी योग्यता

1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता ।
2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी ।
3. दस्तावेजो की स्केनिंग ।
4. एम.एस. - ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव ।
5. शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।
6. एक वर्ष का यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर का डिप्लोमा ।
7. न्यूनतम तकनीकी योग्यता C.P.C.T परीक्षा उत्तीर्ण ।

Scanned with CamScanner

//अनुबंध//

मै.................................. पिता/पति............................. पद कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पदस्थापना स्थान................ दिनांक .... को कार्यालय प्रमुख .... के पक्ष मे निम्नानुसार करारनामा करता हूँ। प्रस्तुत करारनामा दिनांक .... से लागू रहेगा।

1. संविदा के अंतर्गत नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिये होगी। संबिदा मे नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि मे अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नही होगी।
2. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के 07 दिवस की अवधि मे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
3. संविदा पर नियुक्ति के पूर्व मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारो का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवको को लागू नियमो या अनुदेशो के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध मे किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा मे नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नवीनीकरण बिना कोई कारण बताये रदद् कर दी जायेगी। बार-बार अनुबंध निष्पादन की आवश्यकता नही रहेगी।
5. संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के टीप के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिये पुन: सेवा वृद्धि पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
6. कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर को संविदा अवधि के दौरान 19,500/- (उन्नीस हजार पॉच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त बेतन दिया जायेगा। महंगाई एवं अन्य गृह भाडा भत्ता आदि नही दिया जायेगा।
7. वर्षान्त पर कार्य का बार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन आधार पर उपयुक्त होने पर एक वर्ष के लिये पुन: सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा।
8. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
9. संविदा पर कार्यरत अधिकरियों/कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वत: व्यपगत हो जाएगा।
संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/ कर्मचरियों को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरूष अधिकारी/कर्मचारी को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
उपरोक्त संशोधनों को आधार मानकर उपरोक्तानुसार वर्णित अवकाश श्रेणियों से संबंधित पूर्व स्वीकृत/ निराकृत प्रकरण पुन: नहीं खोले जाएंगे।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियो की स्वीकृति से किया जायेगा बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नही होगा।

10. नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप मे संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

11. उक्त पद पर कार्यरत् कर्मचारी का जॉब चॉर्ट कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जायेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होगे ।

12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी समक्ष अधिकारी पूर्वानुमति/निर्देश के कोई सूचना/जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभागो को किसी भी माध्यम से नही होगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

13. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नही करने की स्थिति मे कारण बताओ स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रूपये 250/- तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 2 बार से अधिक अ थदण्ड लगने की स्थिति निर्मत होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लागते समय सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

14. चयनित उम्मीदवार उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा मे माना जावेगा यदि संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो बिना कारण बताये नियुक्ति रदद् कर दी जायेगी ।

15. संविदा पर नियुक्त के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिये किन्ही पेंशन संबंधी सुविधाओ का हकदार नही होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि पात्रता होगी ।

16. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर भविष्य मे नियमितिकरण संबंधी कोई दावा नही कर सकेगा।

17. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर को एक माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा नोटिस देकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी ।

18. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

19. किसी भी विवाद की स्थिति मे कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।

20. उपरोक्त संविदा शर्तो के साथ संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर सामान्य प्रशासन विभाग म0प्र0 शासन के संविदा नीति दिनांक 22 जुलाई 2023 के उपबंध लागू होगे। यदि उपरोक्त शर्तो एवं सामान्य प्रशासन विभाग की नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंधो के मध्य किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति मे सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंध मान्य होगे ।

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) सीहोर,जिला सीहोर

E-Mail - lokseva.sehore@gmail.com

क्रमांक / 1162 / लो.से.प्र. / 2023 सीहोर, दिनांक 07/02/2024

प्रति,

आयुक्त
जनसम्पर्क विभाग
जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा भोपाल म0प्र0

विषय :- कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के रिक्त पदो पर पद पूर्ति के संबंध मे ।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सीहोर जिला मे राजस्व विभाग अंतर्गत कुल 02 कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद पूर्ति के संबंध मे ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु एम पी ऑनलाईन पोर्टल पर इच्छुक आवेदको से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। जिसके संबध मे सूचना जारी किया जाना है ।

अतः पत्र के संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन किन्ही 03 राष्ट्रीय एवं 03 राज्य स्तरीय समाचार पत्रो मे करवाएं जाने का कष्ट करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– विज्ञापन

संयुक्त कलेक्टर एवं
नोडल अधिकारी
जिला सीहोर

पृ0क्रमांक / 1163 / लो.से.प्र. / 2023 सीहोर, दिनांक 07/02/2024

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग म0प्र0शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. अपर कलेक्टर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ।
5. जिला सूचना अधिकारी जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं जिले मे एन आई सी पोर्टल पर प्रकाशन के संबंध मे ।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. भर्ती समिति श्री/श्रीमती .... की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त कलेक्टर एवं
नोडल अधिकारी
जिला सीहोर

Scanned with CamScanner